रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2008/आश्विन 2 , 1930
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2008/ASVINA 2, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008

सं. एल-7/68(84)/2006-सी ई आर सी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ग्रिड संहिता" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन) विनियम, 2008 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खंड 4.10 का संशोधन.—ग्रिड संहिता के खंड 4.10 का निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :

(क) दूसरे वाक्य में "आर एल डी सी/एस एल डी सी" शब्दों के स्थान पर "आर एल डी सी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तीसरे वाक्य में, "यथास्थिति, आरएलडीसी/एसएलडीसी" शब्दों के स्थान पर "सीटीयू की प्रणाली पर समुचित आंकड़े संग्रहित करने के स्थान", शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अंतिम वाक्य में "और आरएलडीसी/एसएलडीसी" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. खंड 6.5 का संशोधन.—ग्रिड संहिता के खंड 4.10 का निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :

(क) खण्ड 6.5 के उप-खंड 6 में "5 बजे सायं तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "6 बजे सायं तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड 6.5 के उप-खण्ड 8 की पहली और दूसरी पंक्ति में "द्विपक्षीप अंतरविनियम/" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) खण्ड 6.5 के उप-खण्ड 10 का लोप किया जाएगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/08]

पाद टिप्पण : भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तारीख 17-3-2006 को भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई थी और उसमें समय-समय पर निम्नानुसार संशोधन किया गया था ।

(i) तारीख 28-8-2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई ।

(ii) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (दूसरा संशोधन), 2006 तारीख 13-12-2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई ।

(iii) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन), 2007 तारीख 18-4-2007 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई ।